DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, FEBRUARY 15, 2024 ----------------------- DATE दैनिक जागरण नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2024

DDA: Vacate stay on action against mosque on Ridge

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday moved the high court seeking to vacate a stay on taking any coercive action against the 100-year-old Shahi Masjid, a graveyard and a school in Dhaula Kuan.

The DDA said this area was part of the Central Ridge, a protected forest where residential and commercial activities are prohibited. It informed the court that Delhi govt's religious committee had approved the removal of encroachments there.

Delhi High Court had earlier ordered status quo at the site of the mosque, graveyard and the school while hearing a petition apprehending their demolition.

Justice Sachin Datta issued a notice to the petitioner—the managing committee of the Shahi Masjid and Qabristan Kangal Shah situated near the Kitchener Lake, Bagh Mochi, in Dhaula Kuan—and asked it to file a reply within 10 days on DDA's application seeking vacation of the stay granted on Nov 2 last year.

During the hearing, the court also sought to know from DDA if the encroachment included the masjid and on what basis the authorities were planning to act. "On what basis do you want to take the action? You make a clear and cogent case. Give me the exact dimensions. What is that you want to remove and why?" the judge asked DDA and asked its lawyer to answer when the matter is heard again on Feb 29.

The court pointed out that "if the masjid is in existence for so long, under what law you want to remove it." However, on the point of encroachment, the court made it clear that the sanctity of the ridge has to be maintained and no one can be allowed to encroach upon a forest area.

JUDGE SAYS

On what basis do you want to take the action? You make a clear and cogent case. Give me the exact dimensions. What is that you want to remove and why?

The court also raised a legal issue. Can the religious committee remove a structure which is vintage and has been in existence for the last 50-60 years. The petitioner's counsel submitted there was no encroachment in the area where the mosque is situated.

"The petitioner has failed to point out that as per the revenue records and the earlier rounds of litigation, it is an encroacher on the government land on the Central Ridge, which is an ecologically sensitive area. Continuous demolition drives are being conducted in the area," DDA argued in its plea.

LG approves acquisition of land to push road project

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: In a decisive push to make the much delayed Urban Extension Road-II (UER-II) a reality, lieutenant governor VK Saxena has approved the acquisition of over 2 bighas of land in southwest Delhi's Bharthal village.

The land parcel, said officials, is critical to the completion of the project. Its acquisition delay had set back the project by seven years.

UER-II, designed to connect north Delhi with the Delhi-Jaipur highway, was planned to decongest Dhaula Kuan and several intersections of both outer and inner ring roads. Officials said the Delhi Development Authority (DDA) had requested permission to acquire 2 bigha and 4.5 biswa of land in Bharthal in April 2016.

However, the acquisition process could not be completed due to several ongoing litigations. This delayed the road project, which was proposed in the Delhi Master Plan 2021 as the third ring road for Delhi.

The road was proposed by DDA between NH1 and NH2, connecting areas such as Narela, Bawana and Rohini in North Delhi, Dwarka sub city, IGI airport and Gurgaon.

Once operational, the road will also provide an alternate route for commuters and freight traffic between southern and eastern parts of Haryana (including the districts of Ambala, Panipat, Karnal, Rohtak, Bahadurgarh) to Delhi and Gurgaon and further up to Rajasthan.

अर्बन एक्सटेंशन रोड दो के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी

वी के सक्सेना

- बाईपास के जरिये उत्तर और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के बीच भीड़ कम करने के लिए बनना है यूईआर-दो
- भरथाल गांव में दो बीघा भूमि अधिग्रहण का आदेश, दिल्ली मास्टर प्लान में प्रस्तावित है सड़क

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना ने लंबे समय से लंबित अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर दो) के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस आशय की जानकारी बुधवार को राजनिवास अधिकारियों ने दी। यूईआर-दो की प्लानिंग एक बाईपास के जरिए उत्तर एवं दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के बीच भीड़ कम करने के लिए की गई है। एलजी ने भरथाल गांव में दो बीघा जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण करना काफी अहम था। सिर्फ इस जमीन को अधिग्रहित नहीं करने की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सात साल की देरी हुई। अप्रैल 2016 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के भरथाल गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर आग्रह किया था, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से इस जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका था। इसकी वजह से यूईआर दो प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी देरी हुई। यूईआर दिल्ली मास्टर प्लान में प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली आधारित तीसरे रिंग रोड के तौर पर विकसित किया गया है। इस प्रस्तावित रोड के जरिए धौला कुआं और मौजूदा रिंग रोड पर यातायात को कम करने की योजना बनाई गई है। यूईआर-दो को डीडीए के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत एनएच एक से एनएच दो तक सड़कें बनाई गई हैं। जिससे नरेला, बवाना व रोहिणी से द्वारका उपनगरी, आइजीआइ एयरपोर्ट और गुरुग्राम को जोड़ने की योजना है। इस रोड से दिल्ली के पश्चिमी हिस्से के एनएच एक, एनएच दो, एनएच 10 और एनएच आठ को जोड़ने की भी तैयारी है।

हरियाणा और राजस्थान जाने में होगी सुविधा

यूईआर दो के बन जाने के बाद दक्षिणी दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी हिस्से (इनमें अंबाला, पानीपत, करनाल, रोहतक एवं बहादुरगढ भी शामिल) से आने वाले लोगों को दिल्ली एवं गुरुग्राम आने और आगे राजस्थान जाने में भी सुविधा मिलेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

15-02-2024.

LG gives nod to acquire land to complete UER-II project

Third Ring Road takes shape

53.82 km
Length of the project in Delhi

₹6,421 crore
Cost of the Delhi portion of the road

Planned: 2016

Project detail: Starts from NH-44 near Narela, crosses NH-9 through Rohini and Dwarka, touches NH-48 near Rajokri

Status: Several patches are still pending. The DDA budget document says the project will likely be completed in 2024-25, and the fund allocation has been increased

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena has approved the pending land acquisition for the Urban Extension Road II in Barthal village in southwest Delhi, clearing the last hurdle for what is being developed as the third Ring Road, the LG secretariat said on Wednesday.

The LG secretariat said that the acquisition of this land was pending since 2016. UER II is being planned to decongest Delhi by creating a bypass between north and southwest Delhi to ensure seamless connectivity from areas like Narela, Bawana and Rohini to Dwarka, IGI Airport, and Gurugram.

An official from the LG secretariat said that Saxena has approved the acquisition of over 1.2 acres of land at Bharthal which was critical for the completion of the project. "The Delhi Development Authority in April 2016 requested for acquisition of 2 bighas 4.5 biswas of land in this village but several litigations were pending," an official said.

UER II begins in the north from NH44 between Bankoli and Alipur, and then via Bawana Industrial Area, Rohini, Mundka, Bakkarwala, Najafgarh, meets the Dwarka Expressway near IICC and IGI airport tunnel end and NH48 Shiv Murti on the eastern end of the IGI.

The Delhi portion is being constructed at an estimated cost of ₹6,421 crore. On February 7, DDA in its budget said that the authority plans to complete the construction of UER II in the next financial year and the allocation has increased from ₹920 crore to ₹1,590 crore. The project, which is a part of three UERs proposed in the Master Plan of Delhi 2021, was to be completed in 2020 but has faced multiple delays.

The official from the LG secretariat said the UER II was proposed by DDA from NH 1 to NH 2 connecting areas like Narela, Bawana and Rohini in North Delhi to the Dwarka sub-city. "It will also connect all major National Highways in the western side of Delhi including NH 1, NH 10, NH 8 and NH 2. Once operational, UER II will also provide an alternate route to the commuters and freight traffic between southern and eastern parts of Haryana, to Delhi, Gurgaon and Rajasthan," he added.

MAINTAIN AT LEAST 500 DEER AT DEER PARK, HC TELLS DDA

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Wednesday asked the Delhi Development Authority (DDA) to maintain at least 50 deer at Deer Park in Hauz Khas, adding that the civic authority should not deprive Delhi residents of the animals. The remaining deer, the court said, can be translocated to green areas in the national capital.

The court was considering a plea filed by the New Delhi Nature Society, seeking directions for DDA to ensure strict compliance to guidelines laid down by the Central Zoo Authority (CZA) and International Union for Conservation of Nature (IUCN) while translocating deer from Deer Park.

"There are so many city forests, they are supposed to be having many green activities. You can infuse them there. Where do children residing in the city get to see deer? ...You reduce the number (in the deer park) but don't deprive the Delhites of the deer. Have at least 50 or so. There are so many city forests. You have the ridge here. DDA has maintained so much of green cover. You check up," a bench led by acting chief justice Manmohan said to the DDAs lawyer. The bench, also comprising justice Manmeet Pritam Singh Arora, also directed the civic authority to present a category wise chart depicting the total deer currently present in the park.

On June 8, 2023, the CZA technical committee approved the translocation of the approximately 600 deer from Deer Park to its natural habitat in Rajasthan and Asola Bhatti Wildlife Sanctuary in the ratio of 70:30, subject to the authorities complying with statutory provisions and IUCN guidelines.

THE BENCH ALSO DIRECTED DDA TO PRESENT A CATEGORY WISE CHART DEPICTING TOTAL NUMBER OF DEER PRESENT IN THE PARK

DDA gets notice on plea over action at mosque

Shruti Kakkar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Wednesday issued notice to the managing committee of Shahi Masjid and Qabristan Kangal Shah on a plea moved by the Delhi Development Authority (DDA) seeking vacation of the order restraining the civic authority from taking any coercive action against the 100-year-old masjid, the graveyard and a madrasa located in Dhaula Kuan.

A bench of justice Sachin Datta sought posted the matter for February 29.

The civic authority has sought vacation of the high court's November 2, 2023, stay on the grounds that the land vests with it. The high court's November order was passed after a petition by the managing committee of the masjid and graveyard seeking to quash an order by the Delhi government's religious committee approving the removal of the encroachments. The plea also sought to restrain DDA from interfering with the management and possession of the structures.

During the hearing on Wednesday, the DDA lawyer submitted that the religious committee in October had urged the court to permit the civic authority to remove the graveyard and the madrasa claiming that they were encroaching upon the Central Ridge.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2024 ---DATED---

No action against '100-year-old' mosque and graveyard: DDA files plea to vacate HC order

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 14

MONTHS AFTER the Delhi High Court said no coercive action should be taken against a mosque and graveyard, claimed to be a century old, in Dhaula Kuan, the Delhi Development Authority (DDA) filed a plea seeking vacation of this order.

On Wednesday, a single-judge bench of Justice Sachin Datta issued notice on the DDA's application and asked the petitioner, the Managing Committee of the Shahi Masjid and Qabristan Kangal Shah, to file its response in 10 days. The matter is next listed on February 29.

The DDA's application was filed on the managing committee's plea. The latter had moved the high court last year claiming that the structure had existed for over a century and was in historical use to offer prayers, carry out burials, and other religious rites. The petitioner apprehended action proposed against it pursuant to a meeting of the Religious Committee held on October 20, 2023.

In an interim order on November 2, 2023, a coordinate bench of the HC had said: "In the meanwhile, having regard to the above documents, and to the fact that the structures are admittedly over one hundred years old, the respondents are directed not to take any coercive action against the subject property until the next date of hearing."

Today, the DDA in its application said the petitioner made "incorrect submissions" before the HC during the November 2 hearing. "The petitioner has failed to point out that as per revenue records and earlier rounds of litigation, it is an encroacher on government land in Central Ridge, an ecologically sensitive area. Continuous demolition drives are being conducted in the area," the plea states. The DDA, in its plea, further said the site in question is part of the Central Ridge, "which is a protected forest", and residential and commercial activities are prohibited.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

www.delhi.nbt.in
। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 15 फरवरी 2024

350 नई इलेक्ट्रिक बसों को LG-CM ने दिखाई हरी झंडी

अब कुल 1650 इलेक्ट्रिक बसें हो चुकी हैं दिल्ली में

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को 350 नई इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करके दिल्लीवालों को बड़ी सौगात दी। इसी के साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़कर 1650 हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल के मामले में दिल्ली अब भारत का पहला और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया है। जिन 350 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, उन बसों का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है।

ई-बसों के इस्तेमाल में दिल्ली विश्व का तीसरा बड़ा शहर बना

बुधवार सुबह सराय काले खां स्थित बांसेरा पार्क से एलजी और सीएम ने नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय, पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एलजी के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा, डीटीसी की एमडी शिल्पा शिंदे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लॉन्च की गई बसें दिल्ली के सुखदेव विहार, रोहिणी सेक्टर-37 डिपो-2 और बुराड़ी बस डिपो-1 से अलग-अलग रूटों पर संचालित की जाएंगी। ये सभी बिजली से चलने वाली प्रदूषण और ध्वनिरहित लो-फ्लोर बसें है, जिनमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन भी लगाए गए है। दिव्यांगों के लिए बस में रैंप की भी सुविधा है। बसों को हरी झंडी दिखाने से पहले सीएम और एलजी ने नई बसों का मुआयना भी किया और उनकी खूबियों और उनमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।

जनता को बधाई देते हुए एलजी ने कहा कि सराय काले खां स्थित डीडीए का बांसेरा पार्क, जो दिल्ली की सबसे नई ईको फ्रेंडली डेस्टिनेशन भी है, वहां से हमने 350 नई इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। इसी के साथ दिल्ली में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1650 हो गई है। इनमें से 900 बसें भारत सरकार की FAME-2 योजना के तहत दिल्ली को मुहैया कराई गई है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और शहर में एक मजबूत ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। एलजी ने सीएम और परिवहन मंत्री को बांसेरा पार्क भी दिखाया, जहां बांस के पौधों और आकर्षक कलाकृतियों के बीच ट्यूलिप के सुंदर फूल भी खिल रहे थे।

एलजी ने सीएम और परिवहन मंत्री को बांसेरा पार्क भी दिखाया

शंघाई और सैंटियागो के बाद सबसे ज्यादा ई-बसें अब दिल्ली में: गहलोत

■ **विस, नई दिल्ली:** दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैलाश गहलोत ने बताया कि चीन के शंघाई और चिली की राजधानी सैंटियागो के बाद दिल्ली दुनिया का तीसरा ऐसा शहर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। उन्होंने दिल्ली में ई-बसों की अब तक जर्नी का जिक्र करते हुए बताया कि 17 जनवरी 2022 को दिल्ली की सड़क पर पहली इलेक्ट्रिक बस चली थी, जो एक प्रोटोटाइप थी। सही मायने में दिल्ली की इलेक्ट्रिक बस जर्नी 24 मई 2022 से शुरू हुई जब एक साथ 150 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया गया। उसके बाद 24 अगस्त 2022 को 97, 2 जनवरी 2023 को 50, 1 मई 2023 को 100, 5 सितंबर 2023 को 400 और 14 दिसंबर 2023 को 500 ई-बसें बेड़े में शामिल की गईं।

किस देश के किस शहर में कितनी ई-बसें

देश	शहर	बसें
चीन	शंघाई	16,000
चिली	सैंटियागो	2,000
भारत	दिल्ली	1,650
इंग्लैंड	लंदन	1,419
रूस	मॉस्को	1,055
अमेरिका	कैलिफोर्निया	650
भारत	बैंगलुरु	500
जर्मनी	बर्लिन	156
इंग्लैंड	मैनेचस्टर	85
अमेरिका	न्यूयॉर्क	15

(इंटरनेट पर उलपब्ध डेटा के अनुसार)

2022 से अभी तक दिल्ली की सड़कों पर 1300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही थी जो अब तक 5.8 करोड़ किमी का सफर तय चुकी है। इनकी मदद से 47 हजार टन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है।

इन रूटों पर चलेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें

सुखदेव विहार डिपो से... रूट नंबर: 433, 434, 511-ए, 525, 544

रोहिणी सेक्टर-37 डिपो-2 से... रूट नंबर: 140, 141, 164, 569, 709, 939, 944, 946, 962, 964, 972, 982, 985, 945-ए, DW-3

बुराड़ी डिपो-1 से... रूट नंबर: 159, 174, 206-ए, 259, 419, 422, OMS (-), बायपास XP, 425, YMS (-), 502, 861-ए, 938-ए, OMS(S), YMS(S)

दिल्ली में बसों की कुल संख्या अब बढ़कर 7582 हो गई हैं, जिनमें से 22 फीसदी इलेक्ट्रिक बसें हैं

अभी तक दिल्ली के 60 में से 16 बस डिपोज का विद्युतीकरण किया जा चुका है। बाकी डिपो में भी काम चल रहा है

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली बृहस्पतिवार, 15 फरवरी 2024 -----DATED---

जल्द मिलेगी तीसरी रिंग रोड

यूईआर-2 परियोजना की बाधा हुई दूर, एलजी ने भू-अधिग्रहण को दी मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्लीवासियों को जल्द ही तीसरी रिंग रोड मिलेगी। इससे जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल 75 किलोमीटर लंबे अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर-2) प्रोजेक्ट में आने वाली बाधा दूर हो गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दक्षिण-पश्चिम में भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। यह एक्सटेंशन रोड उत्तरी दिल्ली के अलीपुर से शुरू होकर महिपालपुर तक जाएगी। भूमि का अधिग्रहण 2016 से लंबित था। इस वजह से योजना परवान नहीं चढ़ पा रही थी।

यूईआर-2, को तीसरी रिंग रोड के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बीच एक बाईपास बनाकर दिल्ली में भीड़भाड़ कम करना है। यह परियोजना नरेला, बवाना और रोहिणी से द्वारका, आईजीआई एयरपोर्ट, गुरुग्राम समेत अन्य मुख्य मार्ग जैसे क्षेत्रों से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसी योजना के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने दो बीघे से अधिक भरथल गांव की जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

परियोजना में सात साल की देरी: भूमि अधिग्रहण राह में रोड़ा बना हुआ था। इस परियोजना में साल साल की देरी हुई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण 4 अप्रैल, 2016 को 2 बीघा 4.5 बिस्वा के अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया था। कई मुकदमे लंबित होने की वजह से अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी हुई। मास्टर प्लान में दिल्ली के लिए तीसरी रिंग रोड के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

मास्टर प्लान, 2021 का हिस्सा

रिंग रोड का उद्देश्य धौला कुआं और बाहरी व भीतरी दिल्ली के दोनों हिस्सों में भीड़ कम करना है। इस योजना को डीडीए ने एनएच-1 से एनएच 2 तक प्रस्तावित किया है। इसके अलावा एनएच-10, एनएच-8 को भी जोड़ेगा। यूईआर 2 एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगा। हरियाणा के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के बीच माल ढुलाई में भी आसानी होगी। अंबाला, पानीपत, करनाल, रोहतक, बहादुरगढ़ जिलों सहित गुरुग्राम और राजस्थान तक सफर को आसान बनाएगा। इस 6 लेन रोड प्रोजेक्ट को दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 में प्रस्तावित किया गया था।

गुरुग्राम और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच सफर आसान

रिंग रोड के बनने से इनर और आउटर रिंग रोड, धौलाकुआं, रोहतक रोड और एनएच-44 पर ट्रैफिक को कम करने में सहायक होगा। इस रोड की मदद से गुरुग्राम और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच सफर आसान हो जाएगा। ट्रैवल टाइम भी काफी कम होगा। इतना ही नहीं पंजाब-हरियाणा से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में भी आसानी होगी।

कब्रिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर रोक की याचिका पर नोटिस

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें धौला कुआं में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी शाही मस्जिद, एक कब्रिस्तान और एक स्कूल के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक हटाने की मांग की गई है। डीडीए ने कहा कि यह क्षेत्र सेंट्रल रिज का हिस्सा है जो एक संरक्षित वन है, जहां आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। ब्यूरो

दैनिक भास्कर

यूईआर-2 परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली के अंदर यातायात की भारी-भरकम भीड़-भाड़ को कम करने के लिए बनने वाली महत्वाकांक्षी अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर-2) परियोजना को पूरा करने की अंतिम बाधा दूर हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में 2 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यूईआर-2 को तीसरी रिंग रोड के रूप में योजनाबद्ध तरीके निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बीच एक बाईपास बनाकर दिल्ली में भीड़भाड़ कम करना है। यह परियोजना नरेला, बवाना और रोहिणी जैसे क्षेत्रों से द्वारका, आईजीआई एयरपोर्ट, गुरुग्राम तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। एलजी सचिवालय के अनुसार, दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण इस महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना में 7 साल की देर हुई है। एलजी ने फाइल की स्टडी के दौरान पाया कि यूईआर-2 परियोजना को पूरा करने के लिए भरथल गांव जो परियोजना को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण था।

बता दें कि 4 अप्रैल 2016 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के भरथल गांव में 2 बीघा 4.5 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण का अनुरोध किया था।

कार्रवाई पर रोक हटाने की याचिका पर कोर्ट का नोटिस

एजेंसी | नई दिल्ली

धौला कुआं स्थित एक सदी पुरानी शाही मदरसा और कब्रिस्तान कंगाल शाह पर कार्यवाही करने के संबंधित याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने धौला कुआं में रिज क्षेत्र में शाही मदरसा और कब्रिस्तान को गिराने पर लगी रोक हटाने की मांग करने वाली डीडीए की याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मैनेजिंग कमेटी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो इसपर 10 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। मामले में अब अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान डीडीए ने कहा कि यह क्षेत्र सेंट्रल रिज का हिस्सा है, जो एक संरक्षित वन है, जहां आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कोर्ट में डीडीए की तरफ से उपस्थित वकील से पूछा, आप किस प्रावधान में लंबे समय से स्थित एक ढांचे को तोड़ सकते हैं। कोर्ट ने पूछा आप किस आधार पर कार्रवाई करना चाहते हैं। डीडीए के वकील ने अदालत को बताया धौला कुआं के नजदीक रिज की इस जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। धार्मिक कमेटी ने इस ऐक्शन की सिफारिश की है। जज ने इसपर पूछा कि कि धार्मिक कमेटी का क्षेत्राधिकार क्या है।

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS---- THURSDAY, 15 FEBRUARY, 2024 | NEW DELHI ---------------- — THE HINDU -

Delhi L-G Saxena approves acquisition of land for Urban Extension Road II project

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lt Governor VK Saxena has approved the acquisition of land in southwest Delhi that was crucial for completion of the long-pending Urban Extension Road II (UER-II) project, Raj Niwas officials said on Wednesday.

The UER-II has been planned to decongest Delhi by creating a bypass between north and southwest Delhi.

Saxena has approved the acquisition of over two bighas of land at Bharthal village that was critical for completion of the project, an official said, adding the non-acquisition of this land parcel alone has delayed the project by seven years. In April 2016, the Delhi Development Authority had requested for acquisition of the land at Bharthal village in southwest Delhi.

However, the acquisition process could not be completed pending several litigations and thus delaying the UER-II, which is proposed in the Delhi Master Plan as the third Ring Road for Delhi aimed at decongesting Dhaula Kuan and other sections of both outer and inner Ring Roads, the Raj Niwas official explained.

The UER-II was proposed by the DDA from NH-1 to NH-2 connecting areas like Narela, Bawana and Rohini in north Delhi to Dwarka Sub City, IGIA and Ggm

The UER-II was proposed by the DDA from NH-1 to NH-2 connecting areas like Narela, Bawana and Rohini in north Delhi to Dwarka Sub City, IGI Airport and Gurugram. It also aims at connecting all the major national highways in the western side of Delhi including NH-1, NH-10, NH-8 and NH-2.

Once operational, the UER-II will also provide an alternative route to the commuters and freight traffic between southern and eastern parts of Haryana (including districts of Ambala, Panipat, Karnal, Rohtak, and Bahadurgarh), to Delhi and Gurugram, and further up to Rajasthan.

Nod to acquire land for Urban Extension Road-II by L-G

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena has approved the acquisition of over two bighas of land in south-west Delhi's Bharthal village for completion of the Urban Extension Road-II (UER-II), a Raj Niwas official said on Wednesday.

The UER-II, a long-pending project proposed by the Delhi Development Authority (DDA) in its Master Plan for Delhi-2041, aims to serve as the city's third Ring Road.

The road will help decongest Dhaula Kuan and other sections of both Outer and Inner Ring Roads as well as create a bypass between north and south-west Delhi, the official added.

In April 2016, the DDA had made a request to acquire the land from the Delhi government.

However, the process was delayed due to several pending litigations.

THE HINDU

Delhi HC issues notice on 100-yr-old mosque

Press Trust of India
NEW DELHI

The Delhi High Court on Wednesday issued a notice on a plea filed by the Delhi Development Authority (DDA), which sought vacation of an earlier court order that forbade any action against a 100-year-old complex comprising a mosque, graveyard and school in Dhaula Kuan.

Justice Sachin Datta issued a notice on the DDA's application, and asked the petitioner – the managing committee of the Shahi Masjid and Qabristan Kangal Shah – to file a response within 10 days.

The DDA in its plea said the area comes under the Central Ridge forest, where residential and commercial activities are prohibited. In November, the court had told DDA not to take any "coercive action".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

15 फरवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा ----DATED----

मस्जिद को हटाने के मामले में प्रबंध समिति से जवाब तलब

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने धौला कुंआं में कथित रूप से सौ साल पुरानी शाही मस्जिद, एक कब्रिस्तान और एक स्कूल को हटाने पर लगी रोक को हटाने की मांग पर मस्जिद व उससे संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मांग दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने की है और उसको लेकर याचिका दाखिल की है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने इस मामले में शाही मस्जिद और कब्रिस्तान कंगाल शाह की प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया और डीडीए के आवेदन पर 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने उसको तोड़ने पर पिछले साल नवम्बर में रोक लगाई थी।

डीडीए ने कहा कि यह क्षेत्र सेंट्रल रिज का हिस्सा है जो एक संरक्षित वन है। वहां आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रतिबंधित है। दिल्ली सरकार की धार्मिक समिति ने वहां से अतिक्रमण हटाने की मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति ने सुनवाई के दौरान डीडीए के वकील से जानना चाहा कि क्या अतिक्रमण में मस्जिद भी शामिल है और अधिकारी किस आधार पर मस्जिद को हटाने पर विचार कर रहे हैं। आप किस आधार पर कार्रवाई करना चाहते हैं? आप एक स्पष्ट रूप से सटीक आयाम बताएं। आप क्या हटाना चाहते हैं और क्यों? वकील से ये सारी बातें बताने को कहते हुए सुनवाई 29 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।

- **डीडीए ने रिज क्षेत्र बताते हुए रोक हटाने की है मांग, याचिका दाखिल**
- **धौला कुंआ की शाही मस्जिद, कब्रिस्तान व स्कूल को हटाने पर लगी है रोक**
- **कोर्ट ने इनको तोड़ने पर पिछले साल नवम्बर में लगाई थी रोक**
- **डीडीए अधिकारी किस आधार पर मस्जिद को हटाने पर विचार कर रहे हैं : हाईकोर्ट**

कोर्ट ने कहा कि मुद्दा यह है कि अगर मस्जिद इतने लंबे समय से अस्तित्व में है तो आप किस कानून के तहत इसे हटाना चाहते हैं। अतिक्रमण के मुद्दे पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिज की पवित्रता बनाए रखनी होगी और किसी को भी वन क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उस क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है, जहां मस्जिद स्थित है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या धार्मिक समिति एक ऐसी संरचना को हटा सकती है जो पुरानी है और पिछले 50-60 वर्षों से अस्तित्व में है।

डीयर पार्क के हिरणों की गणना करे डीडीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से राजधानी की डीयर पार्क में चित्तीदार हिरणों की गणना करने को कहा है। साथ ही सुझाव दिया है कि यदि पार्क में जानवरों की संख्या ज्यादा है तो उनमें से कुछ हिरणों को राजधानी के अन्य हरित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह निर्देश 'लघु चिड़ियाघर' के रूप में पार्क की मान्यता रद्द करने के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। पीठ ने कहा कि दिल्ली में जहांपनाह जैसे कई शहरी वन हैं, जहां अतिरिक्त हिरणों को स्थानांतरित किया जा सकता है। वैसे डीयर पार्क में कम से कम 50 हिरण रहें। शहर में रहने वाले बच्चों को इन्हें देखने का मौका मिलेगा। आप दिल्लीवासियों को इस सुविधा से वंचित क्यों करना चाहते हैं? इस सुविधा को खत्म न करें।

- **यदि हिरण ज्यादा हैं तो अन्य हरित क्षेत्रों में किया जा सकता है स्थानांतरित**

दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में स्थित डीयर पार्क को आधिकारिक तौर पर एएन झा डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। यह डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह बहुत ही लोकप्रिय है। सीजेडए ने पिछले साल 8 जून को डीयर पार्क की 'मिनी जू' के रूप में मान्यता रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने बाद में अधिकारियों से पार्क से चित्तीदार हिरणों के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था।

यूईआर-2 के लिए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यूईआर-2 (शहरी विस्तार मार्ग- 2) परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट अरसे से लंबित था। राजनिवास के अधिकारी ने बताया कि शहरी विस्तार मार्ग-2 योजना को पूरा करने का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बीच बाईपास बनाकर दिल्ली के यातायात को कम करना है। अधिकारी ने बताया कि उप-राज्यपाल ने भरथल गांव में दो बीघा से अधिक जमीन अधिग्रहण के लिए मंजूरी दी थी। यह जमीन परियोजना के लिए बेहद जरूरी है। परियोजना के लिए अकेले इस भूखंड का अधिग्रहण नहीं बीते सात साल से प्रोजेक्ट लटका हुआ है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अप्रैल 2016 में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के भरथल गांव में जमीन अधिग्रहण का अनुरोध किया था, लेकिन लंबित विवाद के चलते अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अधिकारी ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना की आखिरी बाधा दूर हो गयी है।

दरअसल डीडीए ने इस परियोजना को दिल्ली के तीसरे रिंग रोड के रूप में तैयार किया है। इसका उद्देश्य दिल्ली के विभिन्न इलाकों की सड़कों से भीड़ को कम करना है। इसे रोड के तैयार होने के बाद नरेला, बवाना, रोहिणी, द्वारका, आईजीआई गुरुग्राम के लिए निर्बाध रूप से यातायात हो सकेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी DELHI 15 फरवरी, 2024 ▶ गुरुवार

डीडीए को डीयर पार्क में हिरणों की गणना करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से राष्ट्रीय राजधानी में 'डीयर पार्क' में चित्तीदार हिरणों की गणना करने को कहा और सुझाव दिया कि यदि पार्क में जानवरों की संख्या ज्यादा है तो उनमें से कुछ हिरणों को राष्ट्रीय राजधानी के अन्य हरित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 'लघु चिड़ियाघर' के रूप में पार्क की मान्यता रद्द करने के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि दिल्ली में जहांपनाह जैसे कई शहरी वन हैं जहां अतिरिक्त हिरणों को स्थानांतरित किया जा सकता है जबकि 'डीयर पार्क' में उनमें से कम से कम 50 हिरण रहें। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने आगे कहा कि शहर में रहने वाले बच्चों को इन्हें देखने का मौका मिलता है। आप दिल्लीवासियों को इस सुविधा से वंचित क्यों करना चाहते हैं? इस सुविधा को खत्म न् करें। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में स्थित 'डियर पार्क' को आधिकारिक तौर पर ए. एन. झा डियर पार्क के नाम से जाना जाता है और यह डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है।

10 में से केवल 3 सड़क दुर्घटनाओं की खबरें ही मीडिया में आती हैं

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): परिवहन विभाग द्वारा वैश्विक सड़क सुरक्षा के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पहल (बीआईजीआरएस) के तत्वाधान में रोड सेफ्टी जर्नलिज्म वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों को सड़क दुर्घटना की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि 10 में से केवल 3 जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं की खबरें ही मीडिया में आती हैं। इसके बाद पत्रकारों को बताया गया कि सड़क दुर्घटना की खबर में उन सभी जानकारियों को समाहित किया जाना चाहिए जिनसे घटना के सही कारण, उसके निदान, सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति सहित पुलिस व अन्य इन्फ्रोसमेंट एजेंसियों की भूमिका के बारे पर्याप्त जानकारी मिल सके। इससे पाठक सहित घटना से जुड़े सभी लोग इसके प्रति जागरुक हो सकें। इस बारे में परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त शहजाद आलम ने बताया कि रोड एक्सीडेंट से जुड़ी खबरों को सही परिपेक्ष्य में कैसे पेश किया जाए, इसको लेकर वर्कशॉप में पत्रकारों का ज्ञानवर्धन किया गया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना का भी जिक्र किया। वर्कशॉप में बताया गया कि रोड ट्रेफिक के दौरान चालक, सहयात्री व पीड़ितों को लगने चोटें दुनिया भर में मौत का आठवां प्रमुख कारण हैं।